प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 20 मार्च, 2020

विषय- नवीन जिला कारागार जौनपुर के निर्माण के लिए चयनित भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2390/नम-1/138/2016, दिनांक 23.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नवीन जिला कारागार जौनपुर के निर्माण के लिए ग्राम-कुददूपुर, रंजीतपुर व इन्दरिया, तहसील-सदर जनपद-जौनपुर की चयनित काश्तकारों की 12.990 हे0 भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु निबन्धन शुल्क व अन्य शुल्क रू0 21.10 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 21,10,000/-(रूपया इक्कीस लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-18/2020/100(1)/22-4-2020-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, जौनपुर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।